न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010050642026

Bail Application/1524/2026
Indrapal Sharma Vs. State of U.P.
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1524/2026

इन्द्रपाल शर्मा उर्फ गोलू पुत्र स्व0 मूलचन्द शर्मा, निवासी ग्राम हरोडा, थाना सिम्भावली, जिला हापुड ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0 245/2026
अं० धारा 137(2),65(1),64(2)(एम),87,123(1),351(3) बी.एन.एस.
व 3/4(2), 5एल./6 पोक्सो एक्ट
थाना– हापुड नगर, जिला हापुड ।

10.07.2026

अभियुक्त इन्द्रपाल शर्मा उर्फ गोलू पुत्र स्व0 मूलचन्द शर्मा की तरफ से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्त, वादनी मुकदमा की पुत्री कथित पीड़िता इशिका को कहीं भी भगा कर या डरा धमकाकर, फुसलाकर या अपहरण करके लेकर नहीं गया है और ना ही प्रार्थी /अभियुक्त ने उसके साथ कोई आपराधिक कृत्य बलात्कार जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। उपरोक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट 18 दिन की देरी से दर्ज करायी गई है, जिसमें देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जबकि प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा अपने पुत्री के घर से जाने की जानकारी दिनांक 28–04–2026 से ही रही है। प्रार्थी/अभियुक्त का कथित पीड़िता से कभी कोई प्रेम प्रसंग या किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा है। वादनी मुकदमा तथा प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार के मध्य रिश्तेदारी सम्बन्ध रहे हैं, लेकिन कुछ समय पूर्व आपसी मनमुटाव कहासुनी होने के कारण दोनों के मध्य रिश्तेदारी सम्बन्ध में खत्म हो गये थे, उस समय वादनी

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.10 16:49:25 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को धमकी दी गई थी कि तुझे झूठे केस में फंसवाऊगीं। इसी दौरान वादनी मुकदमा की पुत्री ईशिका घर से कहीं चली गई, जिसका अनुचित लाभ उठाकर, प्रार्थी/अभियुक्त को झूठे मुकदमें में फंसाने के लिये फर्जी मनगढन्त कहानी बनाकर झूठी रिपोर्ट वादनी मुकदमा द्वारा दर्ज करा दी। कथित पीड़िता प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं हुई है। कथित पीड़िता द्वारा अपनी माता व पुलिस के प्रभाव के चलते प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध झूठे ब्यान दर्ज कराये गये हैं। कथित पीड़िता ईशिका नाबालिग नहीं है, बल्कि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा अपना भला बुरा भली भांति समझती है, जिसे गलत रूप से नाबालिग दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की मौके से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।कथित घटना की बावत कोई सम्पुष्ट साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्पक्ष व स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27–05–2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य हैं। प्रार्थी/अभियुक्त गाड़ी चलाता है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त की माता की आयु करीब 74 वर्ष है तथा उसकी देखभाल करने वाला प्रार्थी/अभियुक्त अकेला है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा न्यायालय क्षेत्र को छोडकर भागने, गवाहान तोडने व सबूत नष्ट करने का कोई अन्देशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतू अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। उक्त आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि अभियुक्त का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' प्रार्थीनी सुमन देवी पत्नी सुनील कुमार निवासी ग्राम मौ० दस्तोई रोड जसरूपनगर हापुड़ तहसीन थाना हापुड जनपद हापुड की निवासी हूँ। मेरी पुत्री ''इ'' उम्र 16 वर्ष जो कि दि0 28.04.2026 को इन्द्रपाल शर्मा उर्फ गोलू निवासी ग्राम हरीडा सिम्भावली जनपद हापुड के साथ घर से गुमशुदा हो गई है, तथा मेरी पुत्री को इन्द्रपाल बहकाकर फुसलाकर अपने संग लेकर भाग गया है, तथा उन दोनों का अब से पूर्व प्रेमप्रसंग चल रहा था। तथा मेरे द्वारा उस पर फोन 95994ग्ग्ग्ग पर दि0

30.04.2026 को किया था परन्तु कोई जबाब नहीं आया है। मेरे द्वारा रिश्तेदारी बाहर मालूम किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तथा वर्तमान में फोन भी नही उठा रहा है। तथा मेरे द्वारा उनके मां बापों से भी पुछा गया परन्तु उन लोगी द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया। मेरी पुत्री कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें।''

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पर वादी की अव्यस्क 16 वर्षीय पुत्री ''इ'' को बहला फुसलाकर उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण करने व उसके साथ कई बार बलात्संग /प्रवेशन लैंगिक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है । केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीडिता द्वारा अपने बयान अ0धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में स्पष्ट रूप से कथन किया किया है कि– ''मेरा नाम ''इ'' है। मैं कक्षा 9 तक पढ़ी हूँ। मैं दि0 28.04.2026 को गुस्से में घर से निकल गई थी। मेरे घरवाले काम को लेकर मुझे मारते पीटते थे इसलिये मैं घर से निकल गई। अपनी मर्जी से निकली थी तहसील पर मेरी मौसी का लडका इन्द्रपाल शर्मा वहां खडा था। मैंने फोन करके उसे बुलाया था तो वह बोला कि चल मेरे घर रह लेना । फिर वह घर नहीं ले जाकर वह मुझे गाजियाबाद में रूम ले रखा था हम यहीं रुके थे। दिनांक 06.05.2025 तक हम वही रुके थे । दि0 07.05.2026 को हम बस्ती गाँव लखनऊ के पास वहाँ के लिये निकल पड़े थे। फिर हम लोग बस्ती पहुंचे। वहाँ इन्द्रपाल ने अपने भांजे का रूम ले रखा था । इन्द्रपाल मुझे अपने साथ बोलकर लाया था फिर मौसी है पते पर। इन्द्रपाल ने मेरे बिना सहमति के पहले तो मेरी मांग भरी सिन्दूर पहना दिया फिर उसने बाहर से रोटी लाई थी उसमें कुछ मिला दिया था कि हमें बेहोश हो गयी, जब मुझे होश आया तब मेरे शरीर पर कपडे नहीं है। और इन्द्रमान भी शराब पीकर बिना कपडो के है। मेरे साथ गलत काम किया जब मैंने पूछा कि ये काम क्यो किया तो बोलने लगा कि तू मेरी लुगाई है। फिर जब मैं मना किया तो मेरे साथ मारने पीटने की धमकी देने लगा और मेरे कई बार फिर शारीरिक सम्बन्ध बनाया यही मेरा बयान है।'' इस प्रकार पीडिता ने स्पष्ट रूप से अपने बयान अ0धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गये आपराधिक कृत्य बलात्संग/ प्रवेशन लैंगिक हमला करने का कथन

किया है । मामला पोक्सो अधिनियम के जघन्य अपराध से सम्बन्धित है । अभियुक्त का कृत्य अत्यन्त गंभीर व जघन्य प्रकृति का है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त इन्द्रपाल शर्मा उर्फ गोलू पुत्र स्व0 मूलचन्द शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 245/2026, अं० धारा 137(2),65(1),64(2)(एम),87,123(1),351(3) बी.एन.एस. व 3/4(2), 5एल./6 पोक्सो एक्ट,थाना– हापुड नगर, जिला हापुड के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।